प्रकरण संख्या 12/2023 लालसिंह व अन्य बनाम सज्जनसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 से 7 सगे भाई है तथा वादी संख्या 8 उनकी माता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण के बाबा के लड़के हैं। ग्राम डडूका, तहसील गढ़ी में खसरा नंबर 1957 वर्तमान आराजी नंबर 2056 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि का पट्टा सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा बांसवाड़ा स्टेट संख्या 2002 के मुताबिक वादीगण के पिता श्री बसन्तसिंह पिता लालसिंह राजपूत को दिया गया है तथा बसन्तसिंह का नाम दर्ज था, जो बसन्तसिंह की स्वअर्जित भूमि है तथा बसन्तसिंह की मृत्यु के बाद वादीगण उसके वारिस होकर मालिक काबिज हैं। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय श्री नाथूसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अवैध रूप से अपना नाम वादीगण के पिता के साथ दर्ज करवा लिया है तथा नाथूसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया तथा शम्भूसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज हो गया है, जो अवैध होकर हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम करीब 30 फिट एवं उक्त से दक्षिण 50 फिट पर पक्की ईटों की दीवार बनाने के लिए नींव खोदना शुरू किया तथा करीब 12 फिट ऊंची दीवार बना ली तथा मना करने पर वादीगण से झगड़ा करते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 2056 रकबा 9 बिस्वा का एक मात्र खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 29.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण को 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 28.04.2023 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:23 IST
Reason: SelfAttested

सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन नहीं दिया है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अंकित है, जबकि निर्णय में 1 से 6 अंकित है, जिससे निर्णय व डिक्री विरोधाभाषी है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 को खातेदार घोषित किया है, जबकि उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। तनकी नंबर 1 पूर्ण रूप से साबित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे आंशिक स्वीकार किया है। इसी प्रकार अन्य तनकियों का भी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें उक्त भूमि नाथूलाल पिता हरिशंकर के नाम दर्ज रही हो तथा उसे रूपान्तरित करवाया गया हो। विक्रय पत्र में कृषि भूमि अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, लेकिन काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सहखातेदार घोषित कर दिया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर विवादित आराजी नंबर 2056 रकबा 9 बिस्वा का एकमात्र अपीलान्ट/वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट के पिता नाथूलाल द्वारा विवादित आराजी में से 61 x 24 फीट भूमि दिनांक 25.03.1984 क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है। उक्त विक्रय पत्र 68/– रूपये का होने से उसका पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श पी.8 अनुसार आराजी नंबर 1957 रकबा 9 बिस्वा का पट्‌टा सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट बांसवाड़ा स्टेट द्वारा अपीलान्टगण के पिता बसन्तसिंह वल्द लालसिंह के पक्ष में संवत् 2002 में दिया जाना स्पष्ट है तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी.9 अनुसार साबिक आराजी नंबर 1957 रकबा 9 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 2056 बनना भी स्पष्ट है। प्रदर्श पी.10 अनुसार सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में भी उक्त भूमि अपीलान्ट/वादीगण के पिता बसन्तसिंह के खातेदारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:23 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज है, किन्तु संवत् 2030 से 2033 की जमाबन्दी में विवादित आराजी नंबर 1957 का खातेदार बसन्तसिंह के साथ–साथ उसके भाई नाथूसिंह को भी दर्ज कर दिया गया है, नाथूसिंह का नाम किस आदेश से जोड़ा गया है, यह प्रतिवादीगण साबित नहीं करा पाये हैं। क्योंकि सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट बांसवाड़ा स्टेट द्वारा जो पट्टा दिया गया है, वह मात्र अपीलान्टगण के पिता बसन्तसिंह के नाम है तथा उसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता नाथूसिंह का नाम दर्ज नहीं है तथा खतौनी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में भी उक्त भूमि मात्र अपीलान्ट/वादीगण के पिता बसन्तसिंह के खातेदारी में ही दर्ज है, ऐसी स्थिति में बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नाथूसिंह का नाम बाद में दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है, न ही उक्त इन्द्राज के आधार पर नाथूसिंह का विवादित आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार माना जा सकता है। जब नाथूसिंह का ही उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है तो फिर नाथूसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का भी उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं माना जा सकता, न ही नाथूसिंह के क्रेता प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 का किसी प्रकार के हक अधिकार माना जा सकता है। प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया कि दावे में तो 7 प्रतिवादीगण अंकित है, किन्तु निर्णय में मात्र 6 प्रतिवादीगणों का अंकन है तथा एक प्रतिवादी का नाम निर्णय में क्यों अंकित नहीं किया गया है, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है ? प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 द्वारा मात्र जवाब प्रस्तुत किया गया था, उनके द्वारा कोई काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सहखातेदार घोषित कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2010 निर्णय एवं डिक्री 29.03.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार प्रकरण में कायम शुदा तनकियां का पुनः साक्ष्यों के आधार पर विवेचन करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:23 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर